न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 68/23 (225)
आरसीएमएस संख्या – 2023/134

उनवान

बत्तो पत्नी वीरी सिंह जाति माली निवासी नगला डिप्टी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
.....अपीलान्ट

बनाम

1. केशन्ती पत्नी साहब सिंह जाति माली निवासी नगला डिप्टी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. प्रेमदेई पत्नी हुक्म सिंह } जाति माली निवासी नगला डिप्टी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. सोना पत्नी खैम सिंह }
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई दिनांक 14.06.2023 प्रकरण संख्या 53/23 उनवान केशन्ती बनाम बत्तो।

उपस्थित :–

1. श्री पंकज कुमार अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री सर्वेश सिंह अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–10.01.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, नदबई के आदेश दिनांक 14.06.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार काबिज हैं। विवादित आराजी चरण संख्या 02 प्रार्थीया/रैस्पो0 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है एवं तभी से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा अप्रार्थी अपीलाण्ट को मनवट हिस्सा मिला हुआ है। अप्रार्थी अपीलाण्ट अपने रकवे से अधिक हिस्से पर मकान बनाने को उतारू हैं। जबकि विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। अपीलाण्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। रैस्पो0 ने लिखित बहस प्रस्तुत करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निवेदन किया। परन्तु उनके द्वारा आदेश दिनांक 10.01.2024 तक कोई लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी के बँटवारे का दावा किया एवं उसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्थगन नहीं दिया एवं नोटिस जारी कर दिये। जिस पर रैस्पो0 ने पुनः उसी विवादित आराजी को लेकर एवं तथ्यो को छुपाते हुये, दूसरा दावा कर दिया एवं उसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में स्थगन पारित करा लिया। उक्त दोनों दावो में समान पक्षकार, समान विवादित आराजी एवं समान ही अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसके अनुसार मौके पर चार दीवारी हो रखी है एवं मनवट के आधार पर बँटवारा हो रहा है एवं दोनों पक्षो ने अपने–अपने मकान बने रखें हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन जारी करने में भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपील पत्रावली पर उपलब्ध दोनों प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं उक्त दोनों प्रार्थना पत्रो पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशो के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों प्रार्थना पत्रो में समान आराजी एवं समान पक्षकार हैं एवं अनुतोष भी दोनों में विवादित आराजी के विभाजन का ही चाहा गया है। प्रथम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.06.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाकर, अप्रार्थीगण को तलब किया गया है वहीं दूसरे प्रार्थना पत्र में दिनांक 14.06.2023 को विवादित आराजीयात पर उभयपक्षकारान को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है। इस प्रकार हम अपीलाण्ट की इस आपत्ति पर तो बल पाते हैं कि प्रार्थी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह एवं तथ्यो को छुपाते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित कराया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.23 एक अन्तरिम आदेश है, जो आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.08.23 तक का जारी हुआ है। जिसकी अपील, अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 23.06.2023 को एक माह पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गयी है। ऐसे अन्तरिम आदेश की अपील या निगरानी मेनटेनेबिल नहीं है। यदि अधीनस्थ न्यायालय आदेश 39 नियम 3 की विधिवत पालना नहीं करता है तो ऐसी सूरत में ही अपील की जा सकती है। हस्तगत अपील में 39 नियम 3 की समयावधि समाप्त होने से पूर्व ही अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। यदि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से उज्र था तो वह अधीनस्थ न्यायालय में ही उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाते। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। इसलिये अपील संधारणीय नहीं होने के कारण हम खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। परन्तु हम अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वह प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित दोनों प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

काश्तकारी अधिनियम को समेकित करते हुये, उनका निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार, पत्रावली प्राप्त होने के तीस दिवस में करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ तत्काल वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर